

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0  
आरोपी महेश शर्मा एवं संदीप शर्मा सहित अधिवक्ता श्री कमलेश शर्मा उप0।

फरियादी रामनिवास शर्मा उप0। फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री प्रमोद स्वामी द्वारा की गई है।

आज दिनांक को उभयपक्षों द्वारा लोक अदालत में राजीनामा करने हेतु द0प्र0सं0 की धारा 320-2 के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया, जिसे अभिलेख पर लिया गया।

राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि आरोपी संदीप शर्मा एवं महेश शर्मा के विरुद्ध भादस की धारा 294,323 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया है। उक्त धारार्यें न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है फरियादी रामनिवास शर्मा ने आरोपीगण से स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः राजीनामा आवेदन स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गई। राजीनामा के आधार पर आरोपी संदीप शर्मा एवं महेश शर्मा को भा0दं0सं0 की धारा 294,323 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में पूर्व नियत तिथि 10.04.17 निरस्त की गई।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा कोई संपत्ति नहीं है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा

जावे।

खण्डपीठ सदस्य. क.1-

क.2-

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

पीठासीन अधिकारी

खण्डपीठ क021 गोहद